कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021–22 (अग्रिम) 25,86,429 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2022–23 खरीफ में 13,95,369 कृषकों का बीमा कराया गया तथा वर्ष 2021–22 में 6,97,567 कृषकों (खरीफ़रबी) के दावों का भुगतान किया गया।
- राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठान सहकारी समितियों के माध्यम से 15,65,087 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट रू. 10 प्रति किलो, 3,78,307 क्वि. सुपर कम्पोस्ट रू. 6 प्रति किलो एवं 3023 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रू. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75 हो गया है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है।
- वर्तमान में 08 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं।
- पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021–22 (अग्रिम) 4,17,187 लाख रू है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।
- राज्य में मत्स्योत्पादन समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2021–22 में 5,91,284 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है।

कृषि

छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/ कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका 7.1 प्रमुख फसल उत्पादन (000 मे. टन)

क्र.	फसल	2020 पूर्ति	2021 पूर्ति	वृध्दि / कमी %
खरीफ				
1	धान (चांवल)	8946.3	8347.99	-7
2	मक्का	576.31	619.72	8
3	अरहर	71.66	62.19	-13
4	मूंग	7.67	5.53	-28
5	उड़द	56.36	50.39	-11
6	मूंगफली	69.31	59.42	-14
7	सोयाबीन	51.92	28.96	-44
8	रामतिल	10.46	9.79	-6
9	अन्य	62.94	82.35	31
क्र.	**फसल**	**2020–21**	**2021–22**	**वृध्दि / कमी %**
रबी				
1	ग्रीष्म धान (चांवल)	854.67	698.72	-18
2	मक्का	313.56	408.14	30
3	गेहूं	368.27	274.88	-25
4	चना	338.33	277.4	-18
5	मटर	20.06	17.8	-11
6	तिवड़ा	122.72	108.55	-12
7	राई–सरसों	70.86	73.86	4
8	अलसी	14.97	13.27	-11
9	गन्ना एवं अन्य	289.49	352.08	22

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार : कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्त्रोत से 36% सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियॉ :—

तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र.	विवरण		2021—22 पूर्ति	2022—23 लक्ष्य		2022—23 पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		936	1415	2547	96	173
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		03 पूर्ण 73 निर्मा.	110	3850	73 (निर्माणाधीन)	2700
3	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	41	-	-	-	-
4	शाकम्भरी योजना	कूप	75	100	100	80	80
		पंप	8251	80	8251	787	787

7.1.2 लघुत्तम सिंचाई :—कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत्—प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2020—21 एवं 2021—22 में किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :—

तालिका 7.3 लघुत्तम सिंचाई राशि लाख में

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1	2021—22	03 पूर्ण 73 निर्मा.	1789.98
2	2022—23	73 निर्माणाधीन	852.82

7.2 आर्थिक सांख्यिकी से संबंधित

तालिका 7.4 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011—12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
योगदान(लाख रु.)	1994483	2279945	2323058	2405990	2532798	2698261
वृद्धि (प्रतिशत)	-18.73	14.31	1.89	3.57	5.27	6.53
योगदान (प्रतिशत)	9.97	10.23	9.88	10.28	10.03	9.89

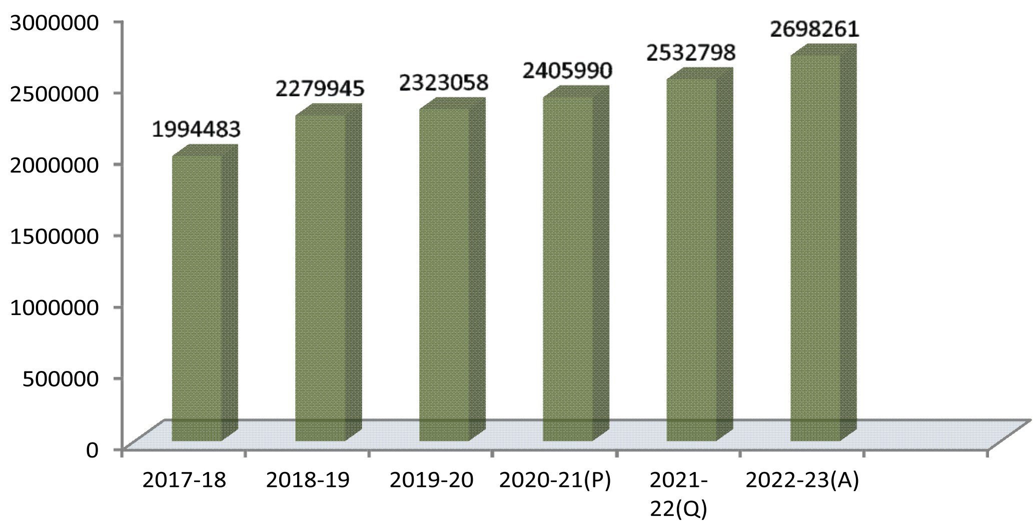

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :—प्रदेश में किसानों को उच्चगुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रू. 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.5 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

क्र.	विवरण	इकाई	2021–22 पूर्ति	2022–23 पूर्ति	% वृद्धि
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**				
	खरीफ	हेक्टेयर	26667	30000	112
	रबी		21247	22000	104
	योग (खरीफ+रबी)		**47914**	**52000**	**109**
2	**प्रमाणित बीज उत्पादन**				
	खरीफ	क्विं.	756854	1400000	185
	रबी		254964	350000 प्रस्तावित	137
	योग (खरीफ+रबी)		**1011818**	**1750000**	**173**
3	**प्रमाणित बीज वितरण**				
	खरीफ	क्विं.	927685	940589	101
	रबी		207321	318400 प्रस्तावित	154
	योग (खरीफ+रबी)		**1135006**	**940589**	**83**

7.4 उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण :— कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान—प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :—

तालिका 7.6 उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2021—22								
खरीफ पूर्ति	349825	196271	64219	610315	73	41	13	128
रबी पूर्ति	143072	50434	9823	203329	79	28	5	113
योग (खरीफ+रबी)	**492897**	**246705**	**74042**	**813644**	**76**	**35**	**9**	**121**
वर्ष 2022—23								
खरीफ पूर्ति (अनु.)	366200	210592	66810	643602	76	44	14	134

7.5 राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा :— राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 05 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 05 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक—एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2019—20 में 10,990 एकड़ एवं परंपरागत कृषि विकास योजना में 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2020—21 में जैविक खेती मिशन का 7,290 एकड़ में तथा परम्परागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2021—22 में जैविक खेती मिशन का 15000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास योजना का 52500 एकड़ में क्रियान्वयन कर कुल 67500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022—23 में जैविक खेती मिशन में 15000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास में 1000 हेक्टेयर फसल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है।

जैविक फसलें — राज्य में धान की सुगंधित किस्में — बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसासुगंध, जंवाफूल, मोतीचुर, जीराफुल, तुलसी—मंजरी, काली कमोद, लोक्टीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें—कोदो—कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन—तिलहन फसलें — अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, आदि की जैविक खेती की जा रही है।

FPO के गठन– जिलों में FPO के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।

राज्य में जैविक ब्राण्ड – राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जा कर विपणन किया जा रहा है।

चांग्रो राईस, जिला – बलरामपुर, **आदिम ब्रांड, पंचतत्व** जिला – दंतेवाड़ा,

बांसाझाल राईस, महामाया जिला – सरगुजा, **बस्तर नेचुरल** जिला–बस्तर,

मैकल्स नेचर जिला–कबीरधाम, **केलो ब्रांड**, जिला–रायगढ,

आगर जैव उत्पाद जिला – मुंगेली, **शिवनाथ आर्गेनिक** जिला – दुर्ग,

आरूग जैविक जिला –राजनांदगांव, **रायपुर आर्गेनिक** जिला–रायपुर,

रूद्र आर्गेनिक जिला –धमतरी, **बालोद आग्रेनिक** जिला –बालोद,

पंचतत्व जिला–कोण्डागांव, **जशपुर एग्रोफेश,** जिला –जशपुर

7.6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू–जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षो के लिए कुल राशि रू. 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विगत तीन वर्षो में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

- **PMKSY-PER DROP MORE CROP (MICRO IRRIGATION)** :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर/ड्रिप (टपक सिंचाई) सिंचाई को प्रोत्साहित करते हुए वर्ष 2018–19 में 18,929.67, वर्ष 2019–20 में 27682.28, वर्ष 2020–21 में 18633.53 हे., वर्ष 2021–22 में 17810.83 हे. क्षेत्र तथा वर्ष 2022–23 में माह सितंबर 2022 तक 511.58 हे. क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किये गये हैं।

तालिका 7.7 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य हे.	भौतिक पूर्ति हे.	वित्तीय लक्ष्य (राशि रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाखं)	सिंचित क्षेत्र हे.
2020-21	हेक्टेयर	44528	18633.53	11559.62	7766.91	18633.53
2021-22		45876	17810.83	10000.00	4725.82	17810.83
2022-23 (सितंबर 2022)		33000	511.58	5054.50	-	-

- **PMKSY-(Per Drop More Crop-Other Intervention & IWMP)** कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे–चेकडेम, परकोलेशन टैंक, फार्म पौण्ड/डबरी, कुंआ एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.8 पीएमकेएसवाय						
वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य	व्यय राशि (लाख रू.)	सिंचित क्षेत्र
2020-21	संख्या	-	2536	-	9939.00	6446
2021-22		-	912	-	49.22	-
2022-23		-	-	-	-	-

7.7 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) :– नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (**NMSA**) के घटक रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (**RAD**) का क्रियान्वयन वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजनांतर्गत 2021–22 एवं 2022–23 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.9 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट			
क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति हे.	व्यय राशि लाख में
1	2021–22	1377.50	434.18
2	2022–23	2271.00	192.03

7.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :– प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड</u>

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति/बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई, विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका 7.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क्र.	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			कुल प्रीमियम (करोड़ में)	दावा भुगतान	
			ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग		कृषक संख्या	राशि (करोड़ मे)
1	2021–22	खरीफ	1255647	122053	1377700	1198.81	507136	986.31
		रबी	181079	50867	231946	152.96	190431	378.28
		योग	**1436726**	**172920**	**1609646**	**1351.77**	**697567**	**1364.59**
2	2022	खरीफ	1304462	90907	1395369	1232.23	फसल कटाई प्रयोग उपरांत दावा गणना की जावेगी।	

7.9 कृषि यांत्रिकीकरण :– विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना/फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना संचालित की जा रही है योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा के केन्द्र स्थापित करने पर राशि रू. 10.00 लाख अनुदान देय है। राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2021–22				वर्ष 2022–23			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोजिंग कार्य	घंटे	17000	3077	183.00	76.76	15000	2704	262.00	127.41
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	30000	15539			24000	8533		
2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन									
	1. ट्रेक्टर	संख्या	803	803	6046.55	2942.06	600	429	3078.53 *	1765.21
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्व चलित रीपर	संख्या	243	125			180	29		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	892	843			375	289		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का विवरण	संख्या	7457	16526			2948	100		
3	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कंपों.–4 (8961)	संख्या	353	335	2292.00	1560.00	18	13	858.00 *	534.00
4	कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजनांतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार–प्रसार घटक क्र.–6	संख्या	53	51	428.00	392.00	2	-	16.00 *	-
5	''फसल प्रदर्शन'' योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	संख्या	335	333.71	25.125	25.028	350	337.00	26.250	-

Table caption: तालिका 7.11 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

* गतवर्ष की अवशेष राशि।

7.10 गोधन न्याय योजना :–

- जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने ''सुराजी गांव योजना'' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परम्परा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।

- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को ''गोधन न्याय योजना'' का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रू. प्रति किलो की दर से अद्यतन 86.46 लाख

क्विंटल गोबर 3.98 लाख पशुपालकों से क्रय कर गौठान स्व–सहायता समूहों द्वारा 1849311 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 535989 क्वि. सुपर कम्पोस्ट व 19957 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 1565087 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट रू. 10 प्रति किलो, 378307 क्वि. सुपर कम्पोस्ट रू. 6 प्रति किलो एवं 3023 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रू. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।

कृषि विपणन

7.11 कृषि उपज मंडियॉः– कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.12 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय

विवरण	इकाई	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (सितं.)
आवक	टन	9239735	10690016	11586725	12964326	13128275	1488324
आय	लाख रू.	32535.33	17045.20	49477.19	42422.27	46513.65	6328.13

7.11.1 मंडियों में आवकः– राज्य में मंडियों में वर्ष 2020–2021 में 1,29,64,326 टन की आवक हुई जबकि वर्ष 2021–22 में 1,31,28,275 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1,63,949 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2021–2022 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 18,13,299 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2022–23 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 14,88,324 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3,24,975 टन कम है।

7.11..2 मंडियों की आयः– छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों में वर्ष 2020–2021 में 42422.27 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2021–22 में 46513.65 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 4,091.38 लाख रूपये अधिक हैं। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2021–2022 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 8,731.44 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2022–23 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 6,328.13 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2,403.31 लाख रूपये कम है।

7.11.3 राष्ट्रीय कृषि बाजारः– माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य के 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गयी है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19.10.2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण

की मंडियों को दिनांक 08.04.2017 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है।

प्रथम चरण :— राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा

द्वितीय चरण:— रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन क्रय—विक्रय प्रारंभ हो गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की दिनांक 19.10.2016 से 29.09.2022 तक की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :—

कुल ई—ट्रेड (मात्रा क्विंटल में)	कुल कीमत (करोड़ रू. में)	पंजीकृत कृषक संख्या	पंजीकृत व्यापारी संख्या	व्यापारी सहभागिता
8319349.99	1660.77	135329	3130	1971

7.11.4 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :— प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, रायगढ़, रामानुजगंज (बलरामपुर), रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, दुर्ग, राजनादगांव, बिलासपुर, सक्ती एवं बालोद में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संरचनायें एवं सुविधायें, विकसित की जाकर मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

7.11.5 एगमार्क नेट पोर्टल :— विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा MRIN (Marketing Research and Information Network) योजनांतर्गत मंडी/उपमंडियों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप एगमार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से जानकारी प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। वतर्मान में छ.ग. प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उपमंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

○ **एग्रीमंडी साफ्टवेयर** :— छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभागीय साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी साफ्टवेयर (मंडी—आनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारियां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.11.6 मोबाईल एपः— मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.11.7 फल—सब्जी मंडीः— प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ फल—सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त फल—सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल—सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकाने इत्यादि उपलब्ध। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग फल—सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

7.11.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :— गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015—16 तक रूपये 38.95 करोड़ एवं वर्ष 2016—17 में 10 प्रतिशत की दर से रूपये 12.50 करोड़ एवं वर्ष 2017—18 से वर्ष 2021—22 तक 20 प्रतिशत की दर से रूपये 122.70 करोड़ अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 174.15 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.11.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदानः— मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान हेतु वर्ष 2014—15 से वर्ष 2022—23 (अद्यतन) तक रूपये 124.24 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.11.10 हाट बाजार निर्माण :— ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हॉट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु 151 हाट बाजार लागत राशि रू. 6561.48 लाख में से 31 हाट बाजार पूर्ण कर लिया गया है, 52 हाट बाजार प्रगतिरत, तथा 68 हाट बाजार अनुबंध/निविदा स्तर पर है, प्रगतिरत हाट बाजारों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाकर लघु सीमांत कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त प्राप्त होने के दृष्टिकोण से विकासित किया जा रहा है।

7.11.11 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण :— किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदाय करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार—प्रसार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 09 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है।

किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण रायपुर (पुराना एवं नया मंडी प्रांगण) दिनांक 15.11.2019 को लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से नया मण्डी प्रांगण में क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण धमतरी में दिनांक 19.04.2017, राजनांदगांव में दिनांक 19.01.2020, बेमेतरा में दिनांक 28.03.2020 से क्रय–विक्रय प्रारंभ हो चुका है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण बैकुण्ठपुर में अधोसंरचनाएं/सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। शेष 03 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चिखली (रायगढ़) का लोकार्पण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.11.12 फल–सब्जी मंडी :– प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर एवं रायगढ़ फल–सब्जी के विपणन हेतु सर्वसुविधायुक्त फल–सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल–सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकाने इत्यादि उपलब्ध। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग में फल–सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग की उपमंडी धमधा में फल–सब्जी मंडी परियोजना लागत राशि रू. 1101.85 लाख पूर्ण किया जाकर लोकार्पण पश्चात प्रारंभ हो चूकी है। कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव अंतर्गत थोक फल–सब्जी परियोजना लागत राशि रू. 999.15 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शीघ्र ही फल–सब्जी मंडी का लोकार्पण किया जाना है। वर्ष 2022–23 मे माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति गण्डई जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई में लागत राशि रू. 1216.15 लाख की परियोजना की सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात प्रारंभ की जावेंगी।

7.11.13 भण्डारण क्षमता (गोदाम) :– प्रदेश के मंडी/उपमंडी प्रांगण में पूर्व से कुल 360 नग गोदाम क्षमता 247500 मे.टन निर्मित है, एवं कुल 114 नग गोदाम कुल क्षमता 1,48,000 मे.टन लागत राशि रू. 6355.50 लाख के कार्यो मे से 43 नग गोदाम पूर्ण। 69 नग गोदाम प्रगतिरत है। 02 नग गोदाम निरस्त कर पुनः निविदा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

सूरजपुर एवं कबीरधाम जिले अंतर्गत शक्कर कारखाने में पृथक–पृथक 20000 मे.टन क्षमता के गोदाम एवं 5000 मे.टन क्षमता के मोलासिसि टैंक मे प्लिथ एवं फाण्डेशन तक के कार्य हेतु कुल राशि रू. 1099.44 लाख की स्वीकृत पश्चात वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

7.11.14 मंडी अधिनियम में संशोधनः–

- **निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रागंण/निजी उपमंडी प्रागंण/निजी किसान उपभोक्ता प्रागंण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **सीधी खरीदी** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 36 तथा 37 में संशोधन किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है।

- **निजी किसान उपभोक्ता बाजार** :– छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रागंण/निजी उपमंडी प्रागंण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रागंण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **संविदा खेती**:– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 (क) जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। तदानुसार आदर्श उपविधि 2009 के उपविधि में संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्ते प्रभावशील की गई है।

- **ई–ट्रेडिंग** :– छ0ग0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 36 की उपधारा (3) में ''इलेक्ट्रानिक निविदा बोलीं'' का प्रावधान है। छ0ग0 प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां ई–ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, जहां अधिसूचित कृषि उपजों का आनलाईन क्रय–विक्रय हो रहा है। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **एकल बिन्दु मंडी शुल्क**:– एकल बिन्दु मंडी शुल्क दिनांक 08 फरवरी 1990 से प्रभावशील है, और धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् राज्य में के एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुनर्विक्रय पर मंडी फीस देय नहीं है, जो छ.ग. में अनुकूलन आदेश

दिनांक से प्रभावशील है। व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता मंडी समिति में मंडी शुल्क का भुगतान कर संबंधित मंडी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर कृषि उपज का विक्रय प्रदेश में कहीं भी कर सकता है। क्रेता व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किये जाने पर मंडी शुल्क देय नहीं है।

- **एकल लायसेंसः–** छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 32–क जोड़ी जाकर, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। छ.ग. कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 दिनांक 10 अप्रैल 2007 से प्रभावशील है।

  छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 40 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु एकल लायसेंस जारी किया गया है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020ः–** छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टाक रख सकता है, इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारी के साथ–साथ सात से अनधिक व्यक्तियों की भारसाधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिये गये है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2020 (क्र. 10 सन 2020) :–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 2, धारा 10, धारा 17, धारा 56 एवं धारा 57 में संशोधन किया गया, जो राजपत्र प्रकाशन दिनांक 01.06. 2020 से प्रभावशील है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 (क्र. 29 सन 2020):–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 2, धारा 4, धारा 19, नवीन धारा 20–क, धारा 36 एवं धारा 49 में संशोधन किया गया, जो भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 05 जून 2020 से प्रभावशील है।

- **छ0ग0 कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 (क्र. 32 सन 2020) :–** कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 19, 79 में संशोधन किया गया, जो राजपत्र में दिनांक 23.12.2020 को प्रकाशित हुआ है।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.13 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 02 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना (रायपुर) एवं राजपुर (दुर्ग) हैं।

7.13.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- योजनान्तर्गत कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 335.00 लाख रखा गया एवं राशि रू. 297.26 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में 2576 हेक्टेयर आम पौध रोपण कार्य किया गया एवं वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत 335.00 लाख प्रावधानित है तथा 3347 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु आम पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 2022 तक 3341 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगार नवयुवकों को 10–10 दिवस का दो चरणों में टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 में 81700 एवं वर्ष 2022–23 में अद्यतन 36,260 पौधों को टापवर्किगं उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है।

तालिका 7.13 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता 2022–23 (मे. टन प्रति हे.)
		2021-22		2022-23		
1	फल	223689	2481777	222474	2590804	11.65
2	सब्जी	493373	6869983	495224	6848323	13.83
3	मसाला	67723	465042	66081	450849	6.82
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	5305	33377	6475	45485	7.02
5	पुष्प	12836	250709	13399	161571	12.06

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना** :– नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 9,400.00 पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4,700.00 अनुदान की पात्रता होगी। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 150.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,276.60 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्व माह नवम्बर 2022 तक अद्यतन 293.50 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** :– यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर) योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में लक्ष्य नहीं रखा गया था। वर्ष 2022–23 में 400.00 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पूर्ति निरंक है।

- **कम्यूनिटि फेंसिंग योजना** :–उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गई है। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 520.00 लाख तथा 954.34 हेक्टेयर कम्यूनिटि फेंसिंग के लक्ष्य के विरूद्ध 928.18 हेक्टेयर कार्य राशि रू. 505.566 लाख व्यय कर सम्पादित किया गया। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 600.00 लाख वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य 1101.15 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2022 तक 956.81 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

- **सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**–उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2017–18 से लागू की गई है। योजना अन्तर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फुलगोभी के फसल प्रदर्शन 0.10 हेक्टेयर हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2021–22 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 36.737 लाख एवं भौतिक 1263 प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध भौतिक लक्ष्य की 1253 पूर्ति की गई तथा राशि रू. 31.531 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 में वित्तीय लक्ष्य 42.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1357 प्रदर्शन निर्धारित किया गया है।

7.13.2 एकीकृत बागवानी मिशन योजना :–एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलों, मसालें,

सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु राशि रू. 14112.64 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा राशि रू. 7000.00 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 के लिए राशि रू. 13334.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। मुख्य घटकों के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है।

7.13.2.1 रोपण अधोसंरचना एवं विकास :–

- **हाइटेक नर्सरी** :– 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में 01 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। वर्ष 2022–23 में 06 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **लघु नर्सरी** :– 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में लघु रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में लघु नर्सरी स्थापित नही की गई। वर्ष 2022–23 में 03 लघु नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 03 लघु नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर** :–अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना नहीं की गई तथा वर्ष 2022–23 में 06 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन** :–ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2021–22 में 14 हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र एवं 20 हेक्टेयर निजी क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2022–23 में सार्वजनिक क्षेत्र में 140 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

7.13.2.2 फलोद्यान विकास :– योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2021–22 में 3,408.59 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2022–23 में

3295 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 2675 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.3 .सब्जी क्षेत्र विस्तार :—योजनान्तर्गत. सब्जी क्षेत्र विस्तार वर्ष 2021—22 में 6062.81 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 20221—23 में 5250 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 3966 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.4 पुष्प विकास योजना :—पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2021—22 में 1547.60 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प क्षेत्र विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 2022—23 में 1520 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 911 हेक्टेयर में क्षेत्रविस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.5 मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :— योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22 में मसाला में 3154.97 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2022—23 में मसाला में 3125 हेक्टेयर एवं औषधीय एवं सुगंधित फसल में 200 हेक्टेयर का लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक मसाला में 2281 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.6 काजू क्षेत्र विस्तार :— योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22 में 135.60 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2022—23 में 300 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2022 तक 185 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.13.2.7 सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :—सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22 में 25 टैंक का निर्माण एवं 117 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक—से—अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुल 55 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22 में 3827 हितग्राहियों को 4132.83 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 1390.71 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर 1845 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022—23 में 7000 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 2500 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है, माह नवम्बर 2022 अंत तक 2078.64 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 192.21 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर की पूर्ति कर ली गई है।

7.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उद्यानिकी (कृषि) के समन्वित विकास हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2021–22 में योजना क्रियान्वयन हेतु राशि रू. 1300.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 853.37 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत फलोद्यान कार्यक्रम 274.20 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 1319.32 हेक्टेयर, मसाला क्षेत्र विस्तार 439.842 हेक्टेयर, पुष्प क्षेत्र विस्तार 43.00 हेक्टेयर, शेडनेट हाउस संख्या 15, बैंगन एवं टमाटर पौध प्रदर्शन संख्या 272। वर्ष 2022–23 में वार्षिक कार्ययोजना राशि रू. 3657.89 लाख की स्वीकृति उपरांत माह सितम्बर फल क्षेत्र विस्तार में 335 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 721 हेक्टेयर, मसाला क्षेत्र विस्तार 258.50 हेक्टेयर, पुष्प क्षेत्र विस्तार 20 हेक्टेयर, प्रदर्शनी संख्या 66, प्लास्टिक मल्चिंग 249.50 हेक्टेयर, पैक हाउस संख्या 71, पल्वेराईजर संख्या 30 पैक हाउस 16000 वर्ग मीटर एवं शेडनेट हाउस 88000 हेक्टेयर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7.16 नेशनल मिशन ऑन आइलसीड एवं आइलपाम योजना :–यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, तथा आईलसीड एवं आईलपाम तथा आलीव्ह को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। वर्ष 2021.22 हेतु राशि रू. 408.211 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2021–22 में 423.72 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम एवं 292 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि रू. 105.68 लाख व्यय हुए। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 978.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.17 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :– पुर्नगठित मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। वर्ष 2021–22 में 20710.98 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में लगे उद्यानिकी फसलों का बीमा किया गया तथा बीमा कंपनी को राज्यांश राशि रू. 5293.05 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2022–23 में राज्य बजट में राज्यांश राशि रू. 4000.00 लाख प्रावधानित है।

7.18 एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री :– योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रू. 241.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध राशि रू. 60.37 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 में परिधिय पौध रोपण अंतर्गत 840 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 840 हक्टेयर एवं सघन पौध रोपण अंतर्गत 65 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 64.45 हेक्टेयर वृक्षारोपण का कार्य संपादित किया गया तथा राशि रू. 44.486 लाख का व्यय

किया गया। वर्ष 2022–23 में भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

7.19 एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन – यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजना का उद्देश्य कृषकों के अतिरिक्त आय हेतु गैरवन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादित बांस के बेहतर मूल्य हेतु मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है साथ ही बांस के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों को नवीन तकनीकी का प्रशिक्षण एवं बांस के बाय प्रोडक्ट बनाने वाले कारीगरों को नवीन मशीन उपकरण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2021–22 की अव्ययित राशि रू. 97.0085 लाख एवं पूर्व वर्षों की आहरित राशि रू. 269.51023 लाख (जिसे विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा एस.एन.ए. खाते में हस्तांतरित किया गया + 12.74129 ब्याज की राशि है) इस प्रकार कुल राशि रू. 366.51873 लाख के विरूद्ध वर्ष 2022–23 में क्रियान्वयन संस्थाओं की मांग अनुसार राशि रू. 290.87101 लाख की लिमिट सेट कर प्रदाय की गई है। वर्ष 2022–23 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की राशि रू. 335.16 लाख की विमुक्ति शासन से अपेक्षित है।

जल संसाधन

7.20.1 **<u>भौगौलिक विवरण एवं उपलब्ध जल</u>** :– छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 42 प्रतिशत वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृशि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से संपन्न है।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से वर्ष 2017 के आंकलन के अनुसार 122 विकासखण्ड भू–जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 22 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। 02 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित है। वर्तमान में आंकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.20.2 **<u>सृजित सिंचाई क्षमता</u>** :– सिचांई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट / स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि है। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में (मार्च 2022 तक) 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75 (21.47/55.40 X 100) हो गया है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.20.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :– वर्तमान में 08 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट / स्टॉपडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 0 मध्यम एवं 340 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 199 एनीकट / स्टॉपडेम निर्माणाधीन हैं।

7.20.3.1 <u>वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं</u> :–

1. **अरपा भैंसाझार परियोजना** :– यह योजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1141.90 करोड़ है। येाजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्डों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे जून 2022 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। योजना को जून 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2. **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन**:– राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

7.20.4 <u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</u> :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई है। केलो परियोजना, खारंग एवं मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र में CADWM के कार्य प्रस्तावित है जिनकी लागत क्रमशः रु. 81.41 करोड़, रु. 32.97 करोड़ तथा रु. 45.89 करोड़ है जिसके विरूध्द माह अगस्त तक खारंग में 8.19 करोड़ एवं मनियारी में 4.37 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा केलो परियोजना पर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.20.5 <u>सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना</u> :– प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई है। उपलब्ध जल के समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनायी गई है। विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2021–22 तक प्रस्तावित 79 सूक्ष्म एवं 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 132 योजनाओं में से 16 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 35 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष

2022—23 में प्रस्तावित 16 सूक्ष्म एवं 09 सोलर सूक्ष्म कुल 25 योजनाओं हेतु रु. 340.00 लाख का बजट प्रावधान है। इन 35 स्वीकृत योजनाओं (सूक्ष्म सिंचाई योजना 16 तथा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना 19) से 10957 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.21 <u>मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना</u> :— मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत—प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर—चांपा एवं रायगढ़ जिले के लगभग 923 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित है। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 10,147 हेक्टेयर, जांजगीर—चांपा जिले के 3,90,184 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 20,249 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना निर्धारित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर (खरीफ 2,47,400 हेक्टेयर एवं रबी 1,73,180 हेक्टेयर) निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 292.392 मि. घ.मी. तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2021—22 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध अंतिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 238084 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई एवं 36802 हेक्टेयर भूमि में रबी कुल 274886 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की गयी। वर्ष 2022—23 में खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई लक्ष्य के विरुद्ध अंतरिम सिंचाई प्रतिवेदन अनुसार माह अक्टूबर तक 2,34,144 हेक्टेयर में सिंचाई की गई है।

7.22 <u>केलो परियोजना</u> :— केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़—अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं जांजगीर—चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ—साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 4.44 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रुपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2022 तक 17,475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किया जा चुका है तथा शेष 5,335 हेक्टेयर जून 2023 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2022 में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में 11000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल प्रदाय लक्ष्य के विरूध्द 5775 हेक्टेयर क्षेत्र में अंतरिम सिंचाई की गई । केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यों की भौतिक प्रगति क्रमशः 99% एवं 83% माह सितम्बर 2022 तक प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत रु. 891.01 करोड़ के विरुद्ध सितम्बर 2022 तक कुल राशि रु. 846.62 करोड़ व्यय की जा चुकी है।

7.23 <u>शिवरीनारायण बैराज का निर्माण</u> :– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रु. 162.43 करोड़ है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर 2022 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 159.54 करोड़ व्यय किये जा चुके है। इस बैराज के निर्माण पश्चात संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क. 7.14 शिवरीनारायण बैराज

क.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बैराज :–			**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**		37.00
1	जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लि., रायगढ़ (600 मे.वा.)	0.00	0.00	कलमा बैराज	
2	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा.)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बैराज	
3	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बैराज	संस्थान को 34 .00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आबंटित किया जाना प्रस्तावित है।
	योग :–	**152.00**	**27.55**		

7.24 साराडीह बैराज :– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी पुनरीक्षित लागत रु. 640.21 करोड़ है, का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। सितम्बर 2022 तक लागत के विरुद्ध राशि रु. 609.79 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को तथा पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :–

तालिका क. 7.15 साराडीह बैराज

क.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज :–		**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**			54.24
1	इण्ड भारत एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बैराज	–
2	वीसा पॉवर लिमिटेड, कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	सारा‍डीह बैराज	–
3	बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	सारा‍डीह बैराज	
4	(अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (600 मे.वा.)	12.00	4.05	सारा‍डीह बैराज	–
	(ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)			सारा‍डीह बैराज	
5	(अ) आर .के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	सारा‍डीह बैराज	–
	(ब) आर .के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	सारा‍डीह बैराज	
6	(अ) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे .वा. के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	सारा‍डीह बैराज	
	(ब) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा. के द्वितीय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	सारा‍डीह बैराज	
	योग :–	239.33	48.76		
	पेयजल हेतु आबंटित जल				
1	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	2.19	0.00	सारा‍डीह बैराज	
2	डभरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.00	0.00	सारा‍डीह बैराज	
	योग :–	3.19	0.00		

साराडीह बैराज से उक्त संस्थानों में से वर्तमान में 03 संस्थानों यथा मेसर्स एस.के. एस. पॉवर लि., आर.के.एम. जेन पॉवर लि. एवं एन.टी.पी.सी. लारा द्वारा क्रमशः 12.00 मि.घ. मी. वार्षिक, 11.20 मि.घ.मी. वार्षिक तथा 45.00 मि.घ.मी. वार्षिक, कुल 68.20 मि.घ.मी. अनुबंध करने के पश्चात जल आहरण किया जा रहा है।

7.25 <u>सिध्द बाबा जलाशय के शीर्ष एवं नहरो का निर्माण कार्य</u> :–

सिध्दबाबा लघु जलाशय योजना नव निर्मित जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के तहसील एवं विकासखंड–छुईखदान के ग्राम–उरतुली के समीप लमती नदी पर प्रस्तावित है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लागत् रू0 220.07 करोड़, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 1275/एफ–1– 94/31/एस– 2 /2021 अटल नगर, दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रदान की गई है। सिध्दबाबा जलाशय की कुल जल भराव क्षमता 9.496 मि0घ0मी0 है। जलाशय के निर्माण से विधानसभा–खैरागढ़ के 19 ग्राम, 885 हेक्टेयर, जिला– बेमेतरा के अंतर्गत विधानसभा–साजा के 11 ग्राम 820 हेक्टेयर एवं जिला–दुर्ग के अंतर्गत विधानसभा–साजा के 04 ग्राम 135 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 34 ग्रामों के 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 03 विकासखंडो के निर्मित 23 लघु जलाशयों को पानी की पूर्ति की जा सकेगी।

पशुधन

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृध्दि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.16 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	313268	380986	415694	416296	430906	450632
वृद्धि (प्रतिशत)	10.21	21.62	9.11	0.14	3.51	4.58
हिस्सा (प्रतिशत)	1.57	1.71	1.77	1.78	1.71	1.65

पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

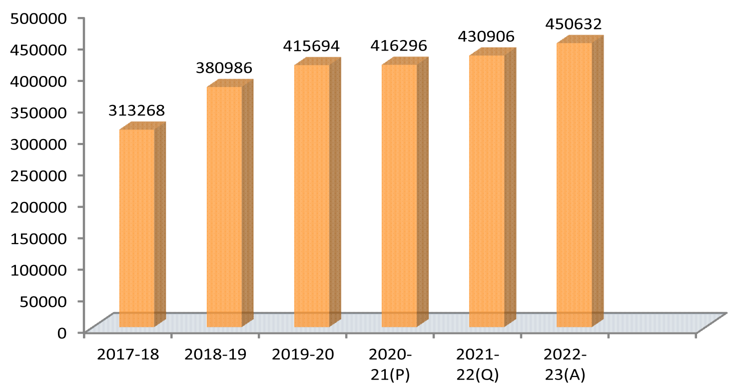

7.26.1 गौंवंशीय एवं भैसवंशीय पशु विकास :– 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार गौंवंशीय प्रजनन योग्य पशु 32.99 लाख एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.61 लाख है। राज्य में वर्ष 2021–2022 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की संख्या 22, हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द की संख्या 248, पशु चिकित्सालय 349, पशु औषधालय 841, मुख्य ग्राम खण्ड 10, मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई 99 कार्यरत है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021–22 में 4.32 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान

से 1.46 लाख वत्सोत्पादन हुआ तथा 18.84 लाख पशुओं का उपचार, 25.30 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 4.06 लाख पशुओं में बधियाकरण, 206.61 लाख टीकाकरण पशुओं/कुक्कुटों का टीकाकरण कार्य किया गया है।

वर्ष 2022–2023 में सितम्बर 2022 तक 2.59 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे 0.77 लाख वत्सोत्पादन हुआ। 11.20 लाख पशुओं का उपचार, 15.76 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.93 लाख पशुओं में बधियाकरण, 68.91 लाख टीकाकरण पशुओं/कुक्कुटों का टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.26. 2 बकरी विकास :– प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे–बकरियॉ है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रो के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनूसचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत राशि रू. 76.00 लाख मे से राशि रू 75.83 लाख ब्यय कर कुल 1956 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2022–23 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2022 तक राशि रू 76.00 लाख मे से राशि रू 20.83 लाख ब्यय कर 109 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.26.3 सूकर विकास :– प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2021 –22 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 89.00 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 989 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू. 88.30 लाख ब्यय कर 981 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया। योजना अन्तर्गत सितम्बर 2022 तक प्राप्त वित्तीय लक्ष्य 89.00 लाख में से 14. 35 लाख व्यय कर 36 हितग्राहियों का वितरण किया गया ।

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.26. 4 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :– प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2021–22 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण हेतु कुल राशि रु. 75.25 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 214 साड़ों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2022–**23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 75.25 लाख मे से** राशि रू. 13.50 लाख व्यय कर 19 सांड़ों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण कार्य प्रगति पर है।

7.26.5 कुक्कुट विकास :– प्रदेश मे 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूंजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2021–22 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 516.87 लाख ब्यय कर कुल 19973 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

तालिका 7.17

संस्था का नाम	संख्या
राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	01
पशु चिकित्सालय	349
केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय (राज्य स्तरीय)	01
केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय (संभाग स्तरीय)	05
पशु औषधालय	841
चलित पशु चिकित्सा ईकाई	27
राज्य स्तरीय पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	01
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
पशु/कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्र	16
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	248
एम्बुलेट्री क्लीनिक	08
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	99

वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 84.58 लाख व्यय कर 1158 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से एवं अन्य शासकीय संस्थानो से किया जा रहा है।

7.26.6 अतिरिक्त केन्दीय सहायता राशि :– वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रू. 3928.50 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 1371.00 लाख का बंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2022 तक राशि रू. 1310.00 लाख व्यय किया गया है।

7.26.7 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :— राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान ईकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवको, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्यान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2022—2023 सितम्बर तक कुल 2051 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता / मैत्री प्रशिक्षित कर पंजीयन किया गया है जिसमें 849 कार्यरत है। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रू. 1200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.26.8 पशुधन मित्र योजना— पशुधन मित्र (गौसेवक/प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कायकर्ता, मैत्री) को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रूचि की निरन्तरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण, शिविर आयोजन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2021—22 में योजनांतर्गत राशि रूपये 333.00 लाख के आंबटन से राशि रूपये 291.59 लाख का मानदेय दिया गया। इसी तरह वर्ष 2022—23 में माह सितम्बर 2022 तक राशि रूपये 330.00 लाख के आबंटन से रिक्त राशि रूपये 12.00 लाख का मानदेय का भुगतान पशुधन मित्रों को किया गया है।

7.26.9 ग्रामोंत्थान योजना :— राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनायें चलाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006—07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है। वर्ष 2022—23 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 5.00 लाख राज्य आयोजना मद से प्रोत्साहन राशि रू. 15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/—

प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 33333 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 5.00 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2022—23 में कुल 0.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरूद्ध रू. 5.00 लाख प्रावधानित है। जिसमें सितम्बर 2022 तक राशि रू. 2.10 लाख खर्च किया गया है।

7.26.10 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :— छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय—भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून, 2001 में की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत है। भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं जैसे राश्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइवस्टाक मिशन, नेशनल एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एवं लाइवस्टाक हेल्थ एवं डिसीज् कंट्रोल कार्यक्रम का राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018—19 में राशि रू. 1920.60 लाख एवं वर्ष 2020—21 में राशि रू. 101.25 लाख प्राप्त हुआ है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2020—21, वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अर्न्तगत 1179B.A.-3, 590 T.A-55.,75 J-12 जिलों को एवं 1 O.M.R. केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग को प्रदाय किया गया है एवं 6000 लीटर क्षमता के 4 तरल नत्रजन टैंकर क्रय किया गया है।

- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत High Genetic Merit (HGM) Bulls केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा में लाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	प्राप्ति स्थल	सांडों की संख्या
1.	नाभा पंजाब	04 मुर्रा, 06 साहीवाल
2.	ULDB ऋषिकेश	02 CBHF HGM, 02 जर्सी
3.	चेन्नई	05 HF Bulls (Imported from Germany)
4.	खेड़ा, गुजरात	04 CBHF, 06 गिर
कुल		**29**

- वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि रू. 1920.60 लाख में से 300 मैत्रियों का प्रशिक्षण वर्ष 2019–20 में किया जाना था। 74 मैत्रियों के प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण कार्य कोविड–19 संक्रमण के कारण स्थगित था, जिसे फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि से 226 एवं वर्ष 2020–21 में प्राप्त राशि रू. 101.25 लाख से 125 मैत्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सामाग्री प्रदाय हेतु क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु वर्ष 2020–21 में राशि रू. 657.00 लाख छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदाय किया गया है तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु राशि रू. 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर को प्रदाय किया गया हैं, जिससे घटकवार सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक एफ.एम.डी. एवं ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण तथा वर्ष 2030 तक इन रोगों का देश से उन्मूलन करने के लक्ष्य के साथ केन्द्रीय योजना नेशनल एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम (NADCP) फॉर एफ.एम.डी. सी. पी. एवं ब्रुसेलोसिस सी.पी. का शुभारंभ वर्ष 2019–20 में किया गया। NADCP योजना के राज्य में कियान्वयन हेतु छ.ग.राज्य पशुधन विकास अभिकरण को कियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में 1,939.32 लाख एवं वर्ष 2020–21 में 785.21 लाख आबंटन प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत 73,75,500 इयर टैग, 7,710 इयर टैग एप्लीकेटर, 1,12,969,000 पशु स्वास्थ्य पत्र, 24,80,352 पशुओं के टैगिंग कर पारिश्रमिक, 1,60,32,300 सीरिंज एवं निडिल, 9 मॉडयूलर कोल्ड रूम, 75, आईसलाइन्ड रेफ्रिजरेटर, 529 रेफ्रिजरेटर 315 लीटर, 3,238 वैक्सीन कैरियर एवं 37,24,941 पशुओं के टीकाकरण हेतु पारिश्रमिक जिलों को प्रदाय किया गया है।

- वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा लाइवस्टाक हेल्थ एवं डिसीज् कंट्रोल कार्यक्रम (LHDCP) का आरंभ किया गया है। राज्य में योजना क्रियान्वयन हेतु छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण को कियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया है। अभिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 में LHDCP के घटक Establishment & Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries (ESVHD) अन्तर्गत राज्य में 163 मोबाईल वेटनरी युनिट की स्थापना हेतु 5822.36 लाख (केन्द्रांश 4601.82 लाख एवं राज्यांश 1220.54 लाख) एवं राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना हेतु 477.83 लाख (केन्द्रांश 317.16 लाख एवं राज्यांश 160.77 लाख) का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में क्रमशः 2608.00 लाख एवं 119.64 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिससे 163 मोबाईल वेटनरी युनिट एवं राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की स्थापना कार्य प्रक्रियाधीन है।

- LHDCP के घटक पी.पी.आर. रोग उन्मूलन एवं सी.एस.एफ. रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत राशि रू. 563.57 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। नेशनल लाइवस्टाक मिशन (NLM) वर्ष 2022–23 अंतर्गत राशि रू. 3738.62 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- वर्ष 2022–23 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत 3646.90 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.26.11 पशुरोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड) :– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोंल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशुउपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़िकरण,किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक पशुओं में राशि रू. 12.59 लाख का टीकाकरण किया गया है एवं माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक योजनांतर्गत राशि रूपये 1190.51 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई जिसमें से राशि रूपये 1021.61 लाख व्यय की गई एवं पशुओं में 197.10 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक पशुओं में 8 लाख टीकाकरण किया गया। योजनांतर्गत 2022–23 में राशि रूपये 1042.63 लाख की कार्य योजना स्वीकृत हुई है।

7.26.12 राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-BCP) NADC :– राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम योजनांतर्गत 4–8 माह उम्र के मादा वत्स (बछिया / पडिया) को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है। जिसमें **NADCP** अंतर्गत वर्ष 2021–22 में (माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक) टीकाकरण निरंक है। माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक मादा वत्सो में 2.37 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक 32,474 ब्रुसेलोसिस टीकाकरण किया गया है।

7.26.13 मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP- FMD) :– छत्तीसगढ राज्य में एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु **NADCP** अंतर्गत वर्ष 2019–20 में एफ.एम.डी. मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई, जिसके तहत एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु गौंवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं मे सघन टीकाकरण कार्य किया जाता है। **NADCP** योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक टीकाकरण निरंक है। माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टीकाकरण निरंक है। वर्ष 2022–23 माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक टीकाकरण निरंक है।

7.26.14 पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम (PPR, CP):– बकरियों में पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के बकरियों को पी.पी.आर रोग के विरूध्द टीकाकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक भेंड़ एवं बकरियों में 0.29 लाख टीकाकरण किया गया एवं माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक योजनांतर्गत भेंड एवं बकरियों में 7.14 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल 2022 से सितम्बर 2022 तक भेंड एवं बकरियों में 1.34 लाख टीकाकरण किया गया।

7.26.15 नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजना (एन.एल.एम.) :– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन (एन.एल.एम.) वर्ष 2014–15 से प्रारंभ केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है जिसका उद्देश्य छोटे रूमन्थी पशु जैसे– भेड़–बकरी, सूकर एवं कुक्कुट पालन तथा चारा विकास के उद्यमिता विकास कर आय का साधन सृजित करना है।

नवीन नेशनल लाईवस्टॉक मिशन के चार सब मिशन है –

1. पशुधन विकास
2. फीड एंड फॉडर विकास
3. नवाचार एवं विस्तार

वर्ष 2021–22 में योजना परिवर्तन होने के फलस्वरूप भारत सरकार से राशि प्राप्त नही हुई है। यद्यपि वर्ष 2020–21 में क्रियान्वित योजना के अनुपयोगित राशि रू. 85.23 लाख के पुर्नवैद्यीकरण पश्चात योजना में कुल 123 बकरी ईकाई वितरीत किया गया एवं 7 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास कार्य किया गया।

7.26.16 सुराजी गांव योजना– नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी (NGGB) :–प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के समन्वय से किया जा रहा है। समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण सतत् रूप से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गौवंशीय–भैंसवंशीय पशुधन को गौठानो के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके साथ ही पशुओं को मूलभूत सुविधा के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध करायी जा सके।

गौठानो में सी.पी.टी. एवं तार फेंसिंग कर आरक्षित भूमि को घेरा कर पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां **डे–केयर सेन्टर** के रूप में ग्राम के पशुओं को चरवाहा के माध्यम से प्रातः कालीन गौठानो में लाया जाना है तथा संध्या होने पर पुनः पशु मालिक के घर वापस किया जाना है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में विचरण करने वाले लावारिस पशुधन को गौठान में दिन–रात रखने के निर्देश जारी किये गये है, जिसका निर्णय ग्राम स्तर पर ग्रामीणों से चर्चा उपरांत ग्राम गौठान समिति द्वारा लिया जा सकता है।

योजना अन्तर्गत विभागीय अमलो द्वारा गौठान में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्राथमिक उपचार, समयबद्ध प्रतिरोधात्मक टीकाकरण के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु सांड वितरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान, कीटनाशक छिड़काव आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में योजनांतर्गत 10559 गौठानों को स्वीकृति प्रदाय की गयी है जिसमें से 8622 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया है।

वर्ष 2021–22 में इन गौठानो में आने वाले पशुओं में 1.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 33553 वत्सोत्पादन, 32.46 लाख टीकाकरण, 6.82 लाख पशुओं का उपचार एवं 1.51 लाख पशुओं में बधियाकरण कार्य संपादित किया गया है।

गौठानों में स्व–सहायता समूहो का चयन कर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। पशुधन विकास विभाग के द्वारा गौठानों में महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से बकरी पालन, लेयर मुर्गी पालन, ब्रायलर मुर्गी पालन, डेयरी पालन, बतख–बटेर पालन इत्यादि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 3807 गौठानों में विभागीय गतिविधियां संचालित है जिसमें 3059 समूहों के 24048 सदस्य कार्यरत है, जो पशुपालन के माध्यम से आजिविका अर्जित कर रहे है।

गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रिपा) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्व–सहायता समूहो को लघु उद्योग का संचालन कर स्व–रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन एवं आय के साधन निर्मित किया जा सके। पशुधन विकास विभाग के द्वारा रिपा अन्तर्गत गोबर से प्राकृतिक पेन्ट निर्माण ईकाई स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

7.26.17 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के 27 जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कुल चयनित 2532 ग्राम/वार्ड का प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। तथा इन प्राथमिक सर्वेक्षण मे से चयनित कुल 810 ग्रामों/वार्डो का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी अनुसार दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन अनुमान तैयार किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त अनुमान अनुसार राज्य में दुग्धोत्पादन 1848 (हजार टन), अण्डा उत्पादन 20316 (लाख) एवं मांस उत्पादन 50.321 (हजार टन) पाया गया। वर्ष 2021–22 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 171 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 69 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.710 कि0ग्रा0 होना पाया गया है।

7.26.18 डेयरी उद्यमिता विकास योजना:– राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी ईकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रूपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों

को 50% तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6% की दर से अनुदान प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 1407.75 लाख आबंटन में से अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक संशोधित योजनांतर्गत 34 नवीन डेयरी इकाई स्थापना तथा पूर्व योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों हेतु कुल राशि 564.26 लाख का अनुदान तथा माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक संशोधित योजनांतर्गत 803 नवीन डेयरी इकाई तथा पूर्व योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल राशि रूपये 1264.49 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्ष 2022–23 में आबंटित राशि रूपये 792 लाख में से माह सितम्बर 2022 तक 109 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रूपये 74.94 लाख का अनुदान हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है।

7.26.19 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :– इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन में अभिरूचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 15000/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 18000/– उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार हेतु अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2021–22 मे योजना अन्तर्गत राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 249.48 लाख व्यय कर 1468 हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2022–23 मे माह सितम्बर 2022 तक राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 36.00 लाख व्यय कर 128 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय, कम लागत और कम समय में सहायक धन्धें के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये हैं तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.18 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

सांख्यिकी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	428200	457659	503807	540782	553819	593083
वृद्धि (प्रतिशत)	21.34	6.88	10.08	7.34	2.41	7.09
हिस्सा (प्रतिशत)	2.14	2.05	2.14	2.31	2.19	2.17

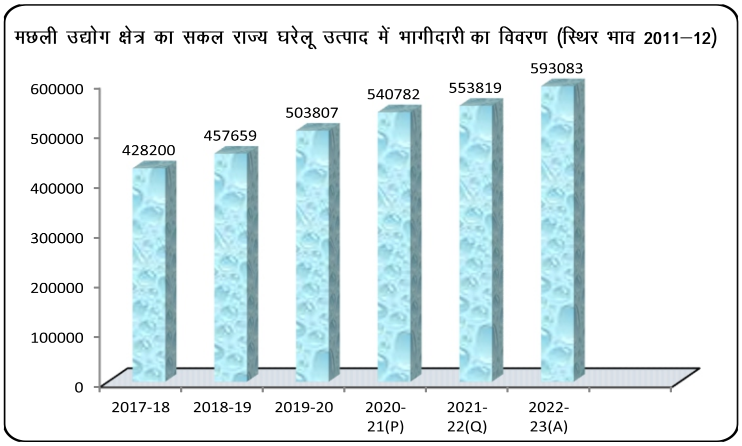

7.27 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :– संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।

(अ) <u>राज्य आयोजना</u> :–

- **मत्स्य बीज उत्पादन** :– राज्य में वर्ष 2020–21 में समस्त श्रोतों से 28805 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2021–22 में 30257 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 5.04 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022–23 में 29783 लाख स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन सितम्बर 2022 की स्थिति में हुआ है।

- **मत्स्योत्पादन** :– राज्य में समस्त श्रोतों से वर्ष 2020–21में 577365 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, जबकि वर्ष 2021–22 में 591284 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 342822 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया हैं।

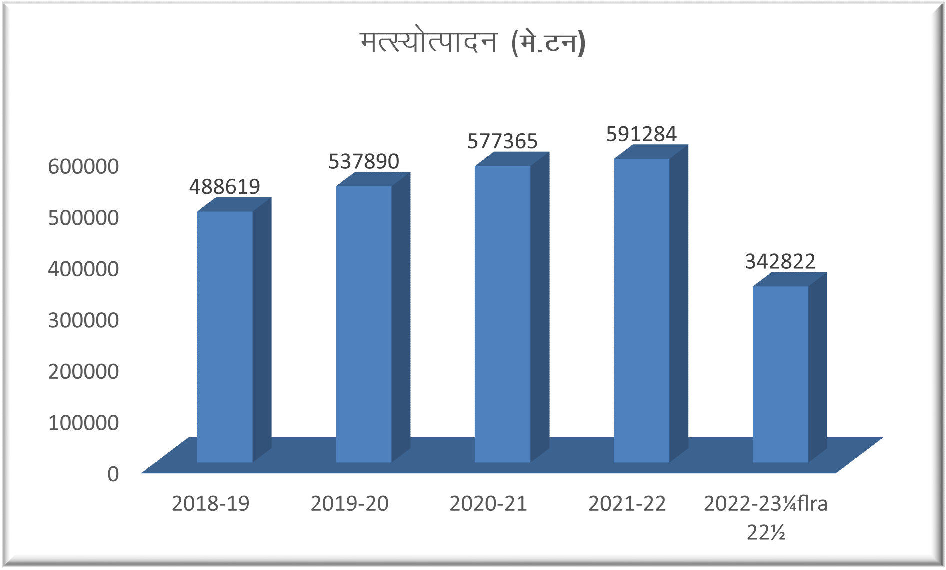

- **मछुआ सहकारिता** :–:– राज्य में वर्ष 2021–22 तक समितियों की संख्या 1674 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 56342 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

1. राज्य के सभी वर्ग के मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन सुचारू रूप से करने हेतु तीन वर्षों में अधिकतम रू. 3.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसके तहत् तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज क्रय एवं संचयन तथा मत्स्याखेट उपकरण हेतु प्रथम वर्ष रू. 1.35 लाख तक द्वितीय वर्ष में रू. 0.90 लाख तक तथा तृतीय वर्ष में अधिकतम

रू. 0.75 लाख की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2021–22 में रू. 424.39 लाख प्रावधानित था व परिपूरक आहार आदि सामग्री क्रय पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

2. **शिक्षण–प्रशिक्षणः–** शिक्षण–प्रशिक्षण योजनानतग्रत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उतपादकता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। चयन किये गये मछुआरों को जिलें के मत्स्य बीज केन्द्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता हैं प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण वृत्ति 750/– जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400/– तथा अन्य व्यय हेतु 100/– इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रू. 1250/– का प्रावधान हैं वर्श 2021–22 में इस कार्यक्रम के तहत 7242 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछुवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षणः–** सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रू. 1,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। रू. 450/– शिश्यवृति तथा क्षेत्रीय भ्रमण व आने जाने पर व्यय हेतु रू. 550/–।

- **मछुओं का अध्ययन भ्रमण :–** सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रू. 100/– प्रति दिवस प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रू. 2,500/– प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

- **मत्स्य पालन प्रसार :–** मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति–जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षो में अधिकतम रूपये 15000/– का प्रावधान है। योजना अतंर्गत वर्ष 2020–21 में 1085 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त

इकाईयों में 182.51 लाख झींगा बीज संचयन कर 515.00 कि.ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।

- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** – राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रू. 30000/– की आर्थिक सहायता वर्ष 2021–22 में 366 हितग्राही लाभान्वित हुए।

- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** – राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से वर्ष 2021–22 में 2677 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयन** – वर्ष 2021–22 में 5002 हितग्राही लाभान्वित है।

- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना** :– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 1103 हितग्राहियों को सहायता दी गई।

मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता :– राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रू. 45/– प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण तालाबों में शत्प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन योजना के तहत प्रति वर्ष रू. 7850/– (लाख में) व्यय किया जाकर क्षेत्रे के 302 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामीणों को सुपाच्य भोजन प्राप्ति हेतु सहायता।

- **रोजगार सृजन** :– मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2021–22 में 352.00 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। वर्ष 2022–23 में माह सितम्बर 2022 तक 165.20 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

3. **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा** :– मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्योखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता हैं। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रू. 1,00,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रू. 2,00,000/– की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2021–22 में 2,21,300 मछुआरों का बीमा कराया गया इस कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य दूसरे स्थान पर रहा।

(ब) केन्द्र क्षेत्र योजनाएँ :–

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण** :– सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन. जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता निर्धारित है। 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण इकाई लागत रूपये 8.50 लाख पर अधिकतम रुपये 5.10 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है।

- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता** :– सभी वर्ग के मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। ऐसे मत्स्य पालक समुह को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/जाल क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 25 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया।

- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन**:– मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिए 0.30 लाख की सहायता (कृषक अंश 0.10 लाख) दी जाती है। वर्ष 2021–22 में 150 तलाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया।

- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु अंगुलिका संचयन कार्यक्रमः**— तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू. 0.03 लाख की सहायता दी जाती है। वर्ष 2021—22 में 2300 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन** :— जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 (शासन एवं हितग्राही) के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।
- **जलाशयों में केज कल्वरः**— राज्य के बड़े एवं मध्यम सिंचाई जलाशयों में 48 बैटरी के फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है। वर्ष 2021—22 तक 99 केज स्थापित की गई है।
- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई की स्थापना** :— तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रुपये 1.48 लाख (रुपये 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रुपये 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है। वर्ष 2021—22 तक 100 प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गई है।
- **राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड** :— भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत्—प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008—09 में इस योजना अंतर्गत मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** :— मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत शासन द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को साकार करने की दिशा के तहत् प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020—21 से लागू की गई है। योजना के तहत् विभिन्न घटकों की रूप रेखा तैयार की गई है। ताकि अंतरर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उक्त योजना राज्य में भी लागू की गई हैं। वर्ष 2020—21 से वर्ष 2024—25 तक कुल 05 वर्षों के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60 प्रतिशत् अंशदान भारत शासन द्वारा तथा 40 प्रतिशत् अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

नरवा – गरवा – घुरवा – बाड़ी :– वर्ष 2019 से राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय जैसे कि मछलीपालन, पशु पालन आदि को परंपरागत तरीके से करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि, पशु पालन, जल संसाधनों का उपयोग एवं उनके उत्पाद तथा अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उस पर आधारित कार्यों में किया जाता है।

कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्रामों में गौठानों की स्थापना की गई है। इन गौठानों के परिवृत्त में स्थित तालाबों में मत्स्य बीज संचय कर मत्स्य पालन किया जाना है। गौठान के ताजे गोबर का उपयोग तालाबों में प्राकृतिक मत्स्य आहार विकसित करने के लिए किया जाता है। गौठान ग्रामों के तालाबों में 'मल्टी एक्टीविटी' अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षण, मत्स्य विक्रय हेतु आईस बॉक्स, नाव–जाल आदि भी वितरण किया जा रहा है। योजना प्रारंभ से निर्मित गौठान संख्या 8401 अंतर्गत 1755 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। कुल 8775 हितग्राही लाभान्वित हुए एवं उन्हें 380.00 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुई।

अनुलग्न–7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13788302	13788302	14044904	14090278
2	वनों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	1846828	1849876	1858011	1850364
3	**कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	739026	750203	751095	743920
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	288118	287265	287529	294194
	उपयोग –3	1027144	1037468	1038624	1038114
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	887314	893044	895107	892817
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नही हैं ।	2316	2745	2828	2544
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	365376	366459	360664	382973
	उपयोग –4	1255006	1262248	1258599	1278334
5	**पड़ती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	257028	255610	254817	257369
	ब. चालू पड़ती भूमि	264175	290907	300685	278066
	उपयोग –5	521203	546517	555502	535435
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर **उपयोग –4+5**	1776209	1808765	1814101	1813769
7	**शुध्द बोया गया क्षेत्रफल**	4681090	4635340	4622725	4630966
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	943232	1099262	1089769	1072879
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5624322	5734602	5712494	5703845

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2022

(हेक्टेयर में)

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2022													
क्रमांक	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य कृषि भूमि पड़ती को छोंड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसलीं क्षेत्रफल	सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
					ब–गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुस्तकिल व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग, जो बोये गये क्षेत्रफल	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती(2 से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	1660	335	49674	21211	35749	62	4114	12442	164921	28001	192922
2	बलौदाबाजार	467697	15304	12119	30912	10071	36211	7	4868	9161	240733	19784	260517
3	गरियाबंद	585494	90006	3656	22879	5685	28090	33	4482	4590	131073	27453	158526
4	महासमुन्द	496301	31013	6018	37281	5210	30707	22	9614	5339	261091	43310	304401
5	धमतरी	408193	15343	1487	29894	2822	16339	3	2369	2372	141535	65241	206776
6	दुर्ग	231999	0	4649	36032	11231	19514	95	3956	7903	148619	59465	208084
7	बालोद	352706	34553	4549	31582	8165	13061	49	3579	5369	179973	57739	237712
8	बेमेतरा	285481	0	7	24951	4126	23537	13	3310	3572	225965	174673	400638
9	राजनांदगांव	802252	97258	17707	51148	16567	51529	251	19148	18490	370409	185076	555485
10	कबीरधाम	444705	25619	9966	16626	2970	29006	67	5942	4546	186131	118800	304931
11	बस्तर	608337	86527	19880	26440	36664	25835	1364	15122	11742	163583	7115	170698
12	कोंडागांव	641727	182612	16287	12033	10585	14669	25	4769	3743	141304	8400	149704
13	नारायणपुर	692268	13178	1655	3146	13912	3705	0	6364	4847	24879	236	25115
14	कांकेर	643268	95240	19306	31709	37487	67116	48	8236	15842	185505	18126	203631
15	दन्तेवाड़ा	341050	32970	27404	12182	29821	4247	0	16757	14709	88345	433	88778
16	सुकमा	580405	140672	11897	14333	60138	24353	75	9967	11746	96421	553	96974
17	बीजापुर	653762	310834	6493	18791	41256	8919	0	4125	4513	80860	54	80914
18	बिलासपुर	387703	38534	3432	25978	11516	40860	42	7151	6607	175248	23400	198648
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	239514	72593	5500	4795	3305	7597	12	5410	2951	63360	4644	68004
20	मुंगेली	275036	1936	229	11121	0	17649	15	2737	1550	128705	91650	220355
21	जाजगीर	446674	9916	2365	33093	12010	37878	124	5657	5504	260956	30197	291153
22	कोरबा	714544	188625	30934	23941	20629	25632	137	10261	9975	121296	2138	123434
23	रायगढ़	652774	59326	14341	59105	7454	67159	0	23704	20799	253110	26570	279680
24	सरगुजा	502180	113648	5130	27792	0	46747	0	16950	13505	151532	21991	173523
25	बलरामपुर	601634	73675	1637	29624	0	88155	100	16840	14850	155727	21906	177633
26	सूरजपुर	499626	15305	1197	28527	0	52976	0	18286	10018	152211	14391	166602
27	कोरिया	597770	47506	13423	25106	0	33405	0	18683	13061	95236	9964	105200
28	जशपुर	645741	56511	52591	25225	10138	42172	0	25665	17623	242238	11569	253807
	योग राज्य	**14090278**	**1850364**	**294194**	**743920**	**382973**	**892817**	**2544**	**278066**	**257369**	**4630966**	**1072879**	**5703845**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल क्षेत्रफल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	कोरिया	106923	104140	105200	96978	94841	95236
2	सरगुजा	174913	173967	173523	152753	152300	151532
3	बलरामपुर	178824	182098	177633	153653	158120	155727
4	सूरजपुर	172008	170975	166602	152883	153312	152211
5	जशपुर	254947	254014	253807	242132	242680	242238
6	रायगढ़	291207	281974	279680	261537	254479	253110
7	कोरबा	122204	125493	123434	118214	122429	121296
8	जांजगीर–चांपा	271829	290662	291153	257639	261635	260956
9	बिलासपुर	198494	199234	198648	173575	174858	175248
10	मुंगेली	225043	220390	220355	128750	128782	128705
11	कबीरधाम (कवर्धा)	305453	308426	304931	189182	187411	186131
12	राजनांदगांव	548783	543159	555485	370509	368130	370409
13	दुर्ग	207114	210164	208084	146600	147724	148619
14	बेमेतरा	396522	395594	400638	225678	225361	225965
15	बालोद	245678	239622	237712	176591	179393	179973
16	रायपुर	202209	197466	192922	162283	164458	164921
17	बलौदाबाजार	254862	259264	260517	232176	235474	240733
18	गरियाबंद	155872	158730	158526	134110	131507	131073
19	महासमुंद	308621	299553	304401	264143	258792	261091
20	धमतरी	214584	216722	206776	142095	142641	141535
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	223137	205541	203631	201195	185096	185505
22	बस्तर	168518	170355	170698	161308	163359	163583
23	कोंडागांव	147852	148266	149704	139907	139921	141304
24	नारायणपुर	30824	25848	25115	30416	25551	24879
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	90809	89046	88778	90221	88573	88345
26	सुकमा	99626	96070	96974	96974	94972	96421
27	बीजापुर	70154	76098	80914	70096	76024	80860
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	67592	69623	68004	63742	64902	63360
	छत्तीसगढ़	5734602	5712494	**5703845**	4635340	4622725	**4630966**

अनुलग्न–7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गतत्रक्षे								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.9 7	4192.23	4339.26	4348.23
1.2	गेहूँ	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27	167.50	160.27
1.3	ज्वार	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97	1.27	1.03
1.4	मक्का	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4	147.2	132.3
1.5	कोदो–कुटकी	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44	41.33	50.35
1.6	जौ	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79	1.14	0.86
51.7	छोटे अनाज	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14	15.68	13.03
2.0	**दालें**									
2.1	चना	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93	314.85	332.90
2.2	तुअर	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77	39.89	46.29
2.3	उड़द	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06	76.95	75.05
2.4	मूग–मोठ	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44	5.02	4.90
2.5	कुल्थी	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3	21.6	19.4
2.6	लाख (तिवड़ा)	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6	171.6	173.0
3.0	**गन्ना**	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2	32.2	36.7
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10	22.76	24.97
4.2	रामतिल	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32	29.30	27.07
4.3	तिल	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95	14.83	15.17
4.4	सोयाबीन	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11	64.50	33.93
4.5	अलसी	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00	9.88	10.60
4.6	राई सरसों	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03	31.84	34.08

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	10654.1	11966.6	7731.5	13189.9	8623.5	9762.8	12854.06	13874.53	13238.5
1.2	गेहूँ	140.8	153.3	142.33	151.08	141.64	446.13	135.89	259.51	203.83
1.3	ज्वार	3.3	4.2	4.36	5.44	4.7	2.81	2.54	1.68	0.76
1.4	मक्का	254.1	235.1	237.74	309.32	306.94	303.60	406.82	522.76	430.90
1.5	कोदो–कुटकी	21.0	20.7	11.93	23.05	14.87	22.23	14.49	20.17	25.63
1.6	जौ	2.4	2.7	0.67	1.88	1.96	1.36	1.09	0.79	0.77
1.7	छोटे अनाज	8.3	8.9	7.87	4.97	5.74	5.76	5.01	4.37	3.19
2.0	**दालें**									
2.1	चना	221.6	311.2	218.8	338.32	331.67	680.03	105.82	258.80	260.33
2.2	तुअर	29.4	35.1	30.6	39.01	25.74	30.13	22.47	23.90	27.03
2.3	उड़द	30.0	30.1	28.91	30.57	28.52	26.98	24.84	28.77	29.86
2.4	मूँगमोठ	4.0	4.2	6.56	6.44	4.92	4.85	2.44	2.32	2.16
2.5	कुल्थी	14.1	14.3	15.09	16.37	15.76	14.86	10.25	8.80	7.79
2.6	लाख (तिवड़ा)	174.0	297.9	192.1	222.63	129.79	124.23	60.91	121.63	103.99
3.0	**गन्ना**	23.8	76.1	46.9	109.58	64.21	93.38	69.90	74.23	69.33
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	42.3	40.8	37.25	46.93	32.112	78.05	33.68	34.41	42.44
4.2	रामतिल	11.6	11.3	10.24	11.39	10.69	10.7	6.89	5.94	5.56
4.3	तिल	4.8	8.0	6.82	7.55	5.19	5.67	6.01	5.99	9.25
4.4	सोयाबीन	111.9	50.1	40.12	76.13	30.31	52.20	83.00	47.34	24.74
4.5	अलसी	11.9	11.2	9.45	10.10	4.57	4.37	4.81	3.79	3.54
4.6	राई सरसों	27.0	24.6	25.96	18.43	18.35	18.96	15.69	16.46	17.52

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236
2017-18	2169	1332	1339	2566	990	407	331	323	4906
2018-19	2358	1548	990	2568	1044	480	640	249	4477
2019-20	3066	1169	1403	3119	252	628	1105	310	5371
2020-21	3197	1549	1501	3552	822	599	734	350	5209
2021-22	3045	1272	834	3257	782	584	729	333	5316

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

* भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न — 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763
19	2017-18	870304	39570	18553	573974	1502401
20	2018-19	898000	29876	15807	621159	1564842
21	2019-20	878588	28061	15960	620404	1543033
22	2020-21	910869	26074	14050	647961	1598954
23	2021-22	899242	24675	11826	668558	1604301

स्त्रोतः— आयुक्त भू—अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2022

क्र.	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिचिंत निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो	सम्पूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	154477	138737	84%	15740	80%
2	बलौदाबाजार	134288	118614	49%	15674	52%
3	गरियाबंद	70648	57628	44%	13020	45%
4	महासमुन्द	128710	85562	33%	43148	42%
5	धमतरी	152527	99797	71%	52730	74%
6	दुर्ग	151853	109637	74%	42216	73%
7	बालोद	127718	97321	54%	30397	54%
8	बेमेतरा	230783	117061	52%	113722	58%
9	राजनांदगांव	175695	106069	29%	69626	32%
10	कबीरधाम	155570	98754	53%	56816	51%
11	बस्तर	10840	10840	7%	0	6%
12	कोंडागांव	9685	9685	7%	0	6%
13	नारायणपुर	181	181	1%	0	1%
14	कांकेर	40310	25617	14%	14693	20%
15	दन्तेवाड़ा	182	182	0%	0	0%
16	सुकमा	699	699	1%	0	1%
17	बीजापुर	3657	3657	5%	0	5%
18	बिलासपुर	110898	90177	51%	20721	56%
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	7606	5108	4%	2498	3%
20	मुंगेली	97813	79888	62%	17925	44%
21	जाजगीर	244292	244292	94%	0	84%
22	कोरबा	7087	7087	6%	0	6%
23	रायगढ़	59127	33922	13%	25205	21%
24	सरगुजा	19074	18139	12%	935	11%
25	बलरामपुर	14025	13231	8%	794	8%
26	सूरजपुर	17703	15234	10%	2469	11%
27	कोरिया	6591	5769	6%	822	6%
28	जशपुर	11602	11413	5%	189	5%
योग राज्य		2143641	1604301	35%	539340	37%

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ